

राजस्थान सरकार  
कृषि विपणन निदेशावली

636

क्रमांक: प. 38/14/उपविधियां/निय./7802-946

जयपुर, दिनांक: 31/05/2005

सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
समस्त ।

राज्य सरकार के आदेश प. 48/79/कृषि/मुद-2/2002 दिनांक: 27.4.2005 के द्वारा नियम 58/48 समाप्त करने के कारण इससे सम्बन्धित उपविधि संख्या: 16/58, 17/58 एवं 17/68 को विलोपित करने एवं 17/78 के स्थान पर निम्न उपविधि प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव मण्डी समिति द्वारा तत्काल पारित किये जावें ।

17/78 कोई अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों "क" वर्ग क्लाल या औद्योगिक समुत्थान जो राज्य के बाहर से मण्डी क्षेत्र में विक्रय या प्रसंस्करण करने के लिये कोई कृषि उपज लाता है तो वह ऐसी उपज के आगम की सूचना परिशिष्ट संख्या: 5 में मण्डी समिति कार्यालय में दूसरे दिन शाम 5.00 बजे तक प्रस्तुत करेगा । ऐसा न किये जाने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि तक 5/= रुपये प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जावेगा । इस अवधि के समाप्त होने पर अधिनियम, नियमो एवं उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी । ऐसी उपज के आगम के पश्चात होने वाले संग्रह दिवसों में उपरोक्त प्रकार से बीजक के आधार पर मण्डी शुल्क मण्डी समिति कार्यालय में जमा कराया जावेगा ।

उपविधि-संख्या: 17/78 के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या: 5 के स्थान पर निम्न प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाता है ।

लगातार....

(63)

प्रपत्र संख्या: 5

सूचना का प्रपत्र

कृषि उपज मण्डी समिति:-----

पुस्तक संख्या:-----

क्रमांक:-----

दिनांक:-----

प्रेषक फर्म का नाम

10सं०

आगम की  
दिनांक:

व्यापारी का नाम व पता जिसमें  
कृषि जिन्त आयात की गई

कृषि उपज मात्रा  
का नाम कि०में

1.

2.

3.

4.

5.

मूल्यांकन सं० में

बिल नम्बर  
व दिनांक:

ट्रक नम्बर जिसके  
द्वारा कृषि उपज  
लाई गई

विशेष  
विवरण

6.

7.


8.

9.

संलग्न:- बिल व बिल्टी कि प्रति

निदेशालय द्वारा प्रस्ताव का पूर्वानुमोदन किया जाता है।

हस्ताक्षर प्रेषक फर्म



निदेशक

कृषि विपणन

जयपुर, दिनांक: 31.05.05

क्रमांक: प. 3/141/उपविधियां/निय. /7802-946

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक कृषि विपणन विभाग।

2- समस्त शाखा प्रभारी, कृषि विपणन, निदेशालय।